न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. होजीदेवी पुत्री स्व. भुबाराम जाति मीणा 2. गंगादेवी पुत्री कछुआरामजी जाति मीणा निवासीगण निवासी ओडा तह0 शिवगंज **विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी**	**बनाम**	1.हेमाराम पुत्र स्व. भुबाराम जाति मीणा निवासी ओडा तह0 शिवगंज 2.तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद संख्या–24/2022

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 19.07.2024

वादीगणों ने जरिये अधिवक्ता राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादी का पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्यां 1 के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा ओडा तहसील शिवगंज में स्थित आराजी खसरा नम्बर 157/39 रकबा 1.3355 हैक्टयर, खसरा नं0 54/1 रकबा 0.8660 हैक्टयर, खसरा नं0 55 रकबा 0.8175 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.0190 हैक्टयर भूमि आई हुई है।

वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता/दादा स्व. भूबा पुत्र केसा मीणा के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज थी। सबुत में जमाबंदी संवत 2029 से 2031 की प्रस्तुत की है। स्व0 भूबा पुत्र केसा के तीन पुत्र प्रतिवादी सं0 1 हेमाराम स्व0 हरजी तथा तथा स्व0 कछुआराम थे इसी तरह एक पुत्री वादीनी सं0 1 होजीदेवी थी। हरजीराम उर्फ हरजी लाऔलाद फौत हो चुका है। वादी सं0 2 गंगा स्व0 कछुआराम की पुत्री है। इस प्रकार वादी सं0 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा, वादी सं0 2 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा कानूनन आता है। स्व0 भूबा पुत्र केसा की मृत्यु होने पर उसके तीनों पुत्र हेमा, कछुआ व हरजी के नाम से नामांतरकरण दर्ज होना आवश्यक था। हरजी की मृत्यु होने के पश्चात उसका नाम विलोपित कर राजस्व रेकर्ड में हेमा व कछुआ का नाम शेष रहा। स्व0 कछुआ का निधन हो चुका है। स्व0 कछुआ की पत्नी का भी निधन हो चुका है। वादी सं0 2 गंगादेवी स्व0 कछुआ की एक मात्र पुत्री व वारिसान है। कछुआराम का निधन होने पर कानूनन कछुआराम के स्थान पर वादी सं0 2 गंगादेवी के नाम नामांतरकरण दर्ज होना आवश्यक था। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने बदनियतिपूर्वक व धोखाधडी कर राजस्व कर्मचारीयों को कछुआ को नाऔलाद फौत होना बताया तथा नामांतरकरण सं. 882 दिनांक 27.05.1992 को संपूर्ण कृषि भूमि का खातेदार बन गया। जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अवैध है। वादग्रस्त भूमि में वादी सं0 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा कानूनन आता है। जिसकी धोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये दिनाक 15.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन तामील होकर प्राप्त हुआ परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 25.07.2023 को प्रतिवादी सं0 1 को समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 17.05.2024 को जवाब पेश किया। व इसी दिन पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। दिनांक 21.06.2024 को वादी अधिवक्ता ने वादीया होजीदेवी का शपथपत्र पेश किया व बयान लिये गये। दिनांक [illegible] को वादी अधिवक्ता ने और साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को दोहराया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्यां 1 के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा ओडा तहसील शिवगंज में स्थित आराजी खसरा नम्बर 157/39 रकबा 1.3355 हैक्टयर, खसरा नं0 54/1 रकबा 0.8660 हैक्टयर, खसरा नं0 55 रकबा 0.8175 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.0190 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता/दादा स्व. भूबा पुत्र केसा मीणा के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज थी।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

सबुत में जमाबंदी संवत 2029 से 2031 की प्रस्तुत की है। स्व0 भूबा पुत्र केसा के तीन पुत्र प्रतिवादी सं0 1 हेमाराम स्व0 हरजी तथा तथा स्व0 कछुआराम थे इसी तरह एक पुत्री वादीनी सं0 1 होजीदेवी थी। हरजीराम उर्फ हरजी लाऔलाद फौत हो चुका है। वादी सं0 2 गंगा स्व0 कछुआराम की पुत्री है। इस प्रकार वादी सं0 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा, वादी सं0 2 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा कानूनन आता है। स्व0 भूबा पुत्र केसा की मृत्यु होने पर उसके तीनों पुत्र हेमा, कछुआ व हरजी के नाम से नामांतरकरण दर्ज होना आवश्यक था। हरजी की मृत्यु होने के पश्चात उसका नाम विलोपित कर राजस्व रेकर्ड में हेमा व कछुआ का नाम शेष रहा। स्व0 कछुआ का निधन हो चुका है। स्व0 कछुआ की पत्नी का भी निधन हो चुका है। वादी सं0 2 गंगादेवी स्व0 कछुआ की एक मात्र पुत्री व वारिसान है। कछुआराम का निधन होने पर कानूनन कछुआराम के स्थान पर वादी सं0 2 गंगादेवी के नाम नामांतरकरण दर्ज होना आवश्यक था। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने बदनियतिपूर्वक व धोखाधडी कर राजस्व कर्मचारीयों को कछुआ को नाऔलाद फौत होना बताया तथा नामांतरकरण सं. 882 दिनांक 27.05.1992 को संपूर्ण कृषि भूमि का खातेदार बन गया। जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अवैध है। वादग्रस्त भूमि में वादी सं0 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा कानूनन आता है। वादी अधिवक्ता ने अपने समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्न नजीर पेश की– 1866 S.C.

S.T. women would succeed to the estate of there parents, brother, husband as heirs by intestate and in herit the property with equal share wit male heir with absolute rights as per the general principlesof hindu succession act 1956.

–::आदेश::–

वाद पत्र मे वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण के पिता/दादा स्व. भूबा पुत्र केसा मीणा के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज थी। सबुत में जमाबंदी संवत 2029 से 2031 की प्रस्तुत की है। स्व0 भूबा पुत्र केसा के तीन पुत्र प्रतिवादी सं0 1 हेमाराम स्व0 हरजी तथा तथा स्व0 कछुआराम थे इसी तरह एक पुत्री वादीनी सं0 1 होजीदेवी थी। हरजीराम उर्फ हरजी लाऔलाद फौत हो चुका है। वादी सं0 2 गंगा स्व0 कछुआराम की पुत्री है। इस प्रकार वादी सं0 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा, वादी सं0 2 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा कानूनन आता है। वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सवत् 2076–2079 मौजा ओडा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 157/39 रकबा 1.3355 हेक्टयर, खसरा नं0 54/1 रकबा 0.8660 हैक्टयर व खसरा नं0 55 रकबा 08175 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.0190 हैक्टयर भूमि में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वादी सं0 1 होजीदेवी व वादी सं0 2 गंगादेवी का कोई और वैध उत्तराधिकार नहीं होने व पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होने से वादी सं0 1 व वादी सं0 2 को वादग्रस्त भूमि का 1/3 व 1/3 हिस्सेदार होने से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

यह निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से दिनांक 19.07.2024 को जारी किया जाता है।

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

दिनांक 19.07.2024

कमांक/कोर्ट/2024/ 413
प्रतिलिपि पालनार्थ :–
तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज